

राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक:—राकबो/न्याय/2022/12237

दिनांक : 29-7-2022

:: सार्वजनिक सूचना ::

राजस्थान कर बोर्ड में प्रेक्टिस कर रहे सभी अधिवक्तागण/चार्टर्ड एकाउटेंट/टैक्स प्रेक्टिशनर पथा पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 13.08.2022 (शनिवार) को राजस्थान कर बोर्ड में लम्बित मामलों के लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु विशेष बेंच का गठन किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड में लम्बित मामलों को लोक अदालत की भावना से वापस लेने पर ब्याज पेनेल्टी के साथ-साथ बकाया टैक्स में भी भारी छूट की घोषणा की गई है। उक्त लोक अदालत (विशेष बेंच) में लम्बित मामलों को उक्त स्कीम का लाभ लेते हुए वापस लेने/ विद्झा के जरिये मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। अतः उक्त तिथि तक अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करवाया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार

राजस्थान कर बोर्ड, जमेर

क्रमांक :सम/12238-12241

दिनांक : 29-7-2022

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यगण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
2. अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन।
3. समस्त वाणिज्यिक कर कार्यालय।
4. नोटिस बोर्ड।



रजिस्ट्रार

राजस्थान कर बोर्ड, जमेर